[श्री शंकर दयाल सिंह]

प्रसारण मंत्री महोदय इसके लिए निश्चित रूप से कोई उपाय लेंगे और सदन में भी इस संबंध में एक वक्तव्य देंगे ।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इनके साथ अपने को संबद्ध करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है, इस पर गंभीरता से विचार करके उचित निर्णय करना चाहिए ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): मैं भी दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए इनके साथ ऐसोसिएट करती हूं ।

THE BHOPAL GAS LEAK DISASTER (PROCESSING OF CLAIMS) AMENDMENT BILL, 1992—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Shrimati Sarala Maheshwari to continue her speech.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Where is the concerned Minister?

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मंत्री जी कहां है ?

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): He is coming.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): He was here all through.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : चिंता मोहन जी को इसकी चिंता नहीं है ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : चिंता मोहन जी की चिंता आप क्यों कर रही हैं ? . . . (**व्यवधान**) . . आप क्यों चिंता कर रही हैं चिंता मोहन जी की ?

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : जो सरकार चलाते हैं उनको ज्यादा चिंता होनी चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : यह भी आ जाता है टाइम वेस्ट करने में ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैंने जो इतना बढ़िया सब्जेक्ट रखा, उस पर लोगों को बोलने देते जब चिंता मोहन जी नहीं हैं ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : भोपाल गैस विभिषिका (दावा कार्रवाई) संशोधन विधेयक, 1992 पर अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए मैंने यह कहा था कि भोपाल गैस विभिषिका हिरोशिमा नागासाकी के बाद दुनियां की सबसे बड़ी त्रासदी थी । एक ऐसी घटना जिसने एक झटके में लाखों की जिन्दगी को तबाह कर दिया था और इसीलिए भोपाल की इस विभिषिका को माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर व इसे भोपोशिमा की संज्ञा दी थी । उपसभाध्यक्ष महोदय, उनकी यह टिप्पणी अकारण नहीं थी । उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय न्यायधीश महोदय ने जब इसे भोपोशिमा की संज्ञा दी थी तो उन्होंने भोपाल त्रासदी के तीन वर्षों बाद इस त्रासदी के कुत्सित परिणामों को देखा था । महोदय, इस त्रासदी में एक झटके में सिर्फ लाखों जिन्दगियां ही तबाह नहीं हुई, बल्कि इसने हमारे सामने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दोहन कार्य रूप को भी उजागर किया और इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम ने हमारे सामने राज सत्ता के पूंजीवादी, साम्राज्यवादी चरित्र को भी उजागर कर दिया ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि भोपाल की यह घटना 1984 में घटी । दो दिसम्बर को, मध्य रात्रि में जब पूरा भोपाल गहरी नींद में सोया हुआ था, उसी समय युनियन कार्बाइड के कारखाने से अचानक 40 टन जहरीली गैस का रिसाव हुआ और देखते ही देखते इस मिथाइल आइसो-सायनाइड गैस ने 3700 लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया । हजारों की आंखों की रोशनी छीनली, हजारों लोगों को असाध्य दमें की बीमारी से आक्रांत कर दिया, असंख्य

लोगों को आंख या फेफड़े की बीमारी हो गई, असंख्य मवेशी मारे गए । महोदय, मौत के इस फैलते हुए साये से बचकर जिन लोगों ने भागने की कोशिश की, उन लोगों को अपनी जीवन भर की कमाई से हाथ धोना पड़ा । देखते ही देखते दो और तीन दिसम्बर को पूरे भोपाल शहर ने एक महा श्मशान का रूप ले लिया । सात लाख की विशाल गरीब लोगों की बस्ती श्मशान में बदल गई । महोदय, उस घटना को आज साढे सात वर्ष बीत चुके हैं । आज तक हम इससे प्रभावित लोगों के पुनर्वास की कोई मुकम्मिल व्यवस्था नहीं कर पाए हैं । और इस भयावह दुर्घटना से हमें जो सबक लेना चाहिए था उस दिशा में भी हमने कोई काम नहीं किया है । अपराधियों को पकड़ने की दिशा में भी हम आज तक कोई काम नहीं कर पाए हैं ।

महोदय, हिरोशिमा नागासाकी की इस घटना के बाद वहां के नागरिकों ने मनुष्यता को चेतावनी दी थी कि इस तरह की गलती फिर से नहीं दोहराई जाए। लेकिन माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हमने न तो गलती को शिनाख्त की और जब गलती की शिनाख्त ही नहीं की तो इससे सबक लेना और चेतावनी देना तो काफी दूर की बात है । आज भी हम उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सामने याचक की मुद्रा में खड़े हैं और उनसे विनती कर रहे हैं कि—आइये, हमारा आर्थिक उद्धार करिए । महोदय, 1984 में जब यह घटना सबसे पहले घटी तो देश भर में जबर्दस्त आक्रोश और गुस्से की लहर फैली थी । एक ऐसी जहरीली गैस का इस भयावह तरीके से इस्तेमाल एक इतना बड़ा अपराध था, जिसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती ।

महोदय, उस काल में जनता के गुस्से और आक्रोश के साथ ही यूनियन कार्बाईड के प्रबंधकों को अपराधी के कटघरे में ठहराते हुए कई दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर किए गए ।

4.00 P.M.

उस समय कानूनी प्रक्रियाओं की इन व्यापक जटिलताओं को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि जब इतने सारे मुकदमे इतने लोगों ने किए हैं तो मुआवजा किस तरह मिलेगा और मिलेगा तो उचित मुआवजा मिलेगा या नहीं और इसमें समय भी काफी लगेगा, इस को देखते हुए भारत सरकार ने एक पेशकश की और मार्च 1985 में भोपाल गैस विभीषिका दावा कार्यवाही विधेयक लाया गया ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य था कि यूनियन कार्बाइड पर इस भयावह दुर्घटना के लिए हरजाना वसूल करने के लिए अनेक लोगों द्वारा चलाए जा रहे मुकदमों के बजाय तमाम गैस पीड़ितों की तरफ से अकेले भारत सरकार ही मुकदमा चलाएगी और इस प्रकार गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों के लिए सिर्फभारत सरकार ने अपने आपको तमाम अधिकारों से लैस कर दिया कि वही एकमात्र संस्था होगी जो गैस पीड़ितों की तरफ से मुकदमा लड़ेगी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यह दलील दी गई थी कि ऐसा करने से एक ओर जहां यूनियन कार्बाइड से उचित मुआवजा वसूल किया जा सकेगा इसके साथ ही जल्दी से जल्दी मुआवजा वसूल करके गैस पीड़ितों के बीच में उसका समुचित रूप में आवंटन हो सकेगा । महोदय, 1985 के उस अधिनियम के बाद भारत सरकार बनाम यूनियन कार्बाइड के बीच मुकदमा शुरू हुआ । पहले यह मुकदमा न्यूयार्क में चलाया गया लेकिन बाद में इस घटनाक्रम में मुकदमे को वापस भारत ले आया गया । इसी मुकदमे पर 14 फरवरी, 1989 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के लिए यूनियन कार्बाइड को जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर 47 करोड़ डालर के हरजाने का दंड दिया । महोदय, अपने इस फैसले में आश्चर्यजनक ढंग से सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को तमाम दीवानी और फौजदारी मुकदमों से भी बरी कर दिया । सुप्रीम कोर्ट के अचानक इस फैसले के विरुद्ध तमाम अखबारों में प्रतिक्रियाएं छपीं और हमारे देश की जनता में भी एक गुस्से की लहर फैली कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आखि

[श्रीमती सरला मोहश्वरी]

क्या कारण है ? कैसे सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचा ।

उपाध्यक्ष महोदय, बाद में यह देखा गया कि असल में यह कोई फैसला ही नहीं था । असल में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच में एक समझौता हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने उस समझौते पर अपनी मोहर लगा दी । महोदय, इस मामले से जुड़े हुए तमाम कानूनी पक्षों की अवहेलना की गई । दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उस फैसले ने हमारे देश के दीवानी कानूनों को आगे बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया । इस संबंध में लॉ ऑफ टार्ट्स के तमाम उसूलों की उपेक्षा की गई । देश के तमाम अखबारों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरुद्ध संपादकीय टिप्पणियां छपीं और महोदय, उसी समय बौखलाकर न्यायमूर्ति वैंकटरम्मया ने यह कहा, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगी । उन्होंने यह कहा कि—"मैं संविधान पीठ से हटने के लिए तैयार हूं" ।

महोदय, 14 फरवरी को फैसला सुनाया गया और 3 मार्च को मुख्य न्यायाधीश आर० एस० पाठक यह कहते हुये पाये गये कि—"यदि कुछ गलत हुआ है तो हम खुशी-खुशी उसमें सुधार कर लेंगे" ।

महोदय, हर दिशा में यही सवाल उठ रहा था कि आखिर सुप्रीम कोर्ट 47 करोड़ डालर की इस राशि पर कैसे पहुंचा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं था । न्यायमूर्ति वैंकटरम्मैया ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं उनको उद्धृत करती हूं—
"हम कैसे इस अंत तक पहुंचे, इसका हमने कोई कारण नहीं बताया है लेकिन यदि कोई इस मामले में इतिहास को देखे तो यह साफ हो जाएगा कि हमने जो किया वह उचित था । हमने अपनी मन-मर्जी से कुछ भी नहीं किया है" ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था उस समय उसने यूनियन कार्बाइड पर 300 करोड़ डालर का मुकदमा दायर किया था ।

यानी 3900 करोड़ रुपये । महोदय, जाहिर है कि सब के मन में यह सवाल उठा कि आखिर यह 300 करोड़ डालर की राशि 1989 में 50 करोड़ डालर तक कैसे पहुंच गई ? सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने यह कहा कि अगर यूनियन कारबाइड 50 करोड़ देता है तो हमारा काम चल जाएगा । सवाल यह है कि इसका आधार क्या था 300 करोड़ डालर की राशि को 50 करोड़ डालर में बदलने का क्या आधार था ? 1985 के अधिनियम से भारत सरकार भोपाल गैस त्रासदी की एकपात्र प्रतिनिधि बनी थी । संसद ने उसको यह सोचकर अधिकार दिया था कि भारत सरकार इन तमाम गैस पीडितों की तरफ से लड़ेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी । लेकिन हुआ इसका उल्टा । राष्ट्र को बिना विश्वास में लिए हुए एक झटके में हर्जाने की राशि को 300 करोड़ डालर से कम करके 50 करोड़ डालर कर दिया गया ।

महोदय, हर कोई यह जानता है कि यदि अमरीकी कानूनों के अनुसार यह मुकदमा लड़ा जाता तो यूनियन कारबाइड को इससे पांच सौ गुना ज्यादा हर्जाना देना पड़ता । अमरीका इस बात का गवाह है कि वहां पर कई बहु-राष्ट्रीय कंपनियां हर्जाना भरने के चलते दिवालिया हो गई । इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता करने की जो सदाशयता भारत सरकार न दिखाई थी उसका अंत यह हुआ कि जो तमाम गैस पीड़ित लोग हैं वे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं । दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी के बाद एक सरकार द्वारा अपने लोगों को ठगने की और एक विदेशी कंपनी के पक्ष में काम करने की यह अनोखी घटना थी, इसकी नजीर इतिहास में नहीं मिलती ।

महोदय, जिस समय सरकार ने अपने दावे की राशि को कम किया उस समय भी इस राशि से हुए नुकसान का सर्वेक्षण तक नहीं हुआ था कि कितने लोग किस प्रकार के रोगों से ग्रसित हुए हैं, उनको सामान्य

जिंदगी में लौटने के लिए कौन कौन से कदम उठाने पड़ेंगे । इसके बारे में रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है । तो सवाल यह है कि उस समय हमारी सरकार कैसे इस निर्णय पर पहुंची ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude.

SHRIMATI SARALA MAHESHWARI: Please give me five minutes more.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Try to conclude within two minutes.

श्रीमती सरला माहेश्वरी : लेकिन अंत में नतीजा यह निकला । सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में जो आदेश जारी किया उसमें सिर्फ मैं यह कहना चाहती हूं कि भारत सरकार ने जिस तरह से यह निर्णय लिया उसका कोई आधार नहीं था । भारत सरकार ने 1985 में भोपाल स्कीम तैयार की । उस स्कीम में 15 श्रेणियां निर्धारित की गई थीं । लेकिन हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते होते 15 श्रेणियों में से 8 श्रेणियों को ही लिया गया बाकी 7 श्रेणियों को छोड़ दिया गया । कहने का तात्पर्य यह है कि भोपाल स्कीम के पीछे कोई वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण काम नहीं कर रहा था । सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर्जाने के लिए हमारी सरकार ने निर्देशक नीति तैयार की । इन निर्देशक नीतियों में त्रासदी से पीड़ित लोगों को श्रेणीवार हर्जाने की राशि के बारे में निर्देश दिए थे । इन निर्देशक नीतियों में क्या-क्या कहा गया है उसका सब ने उल्लेख किया है । मैं केवल यह कहना चाहूंगी कि ये जो निर्देशक नीतियां तैयार की गई जिस तरह से इनका विभाजन किया गया है वह बहुत ही गलत तरीके से किया गया है । अगर आप देखें तो इन निर्देशक नीतियों के अनुसार इस त्रासदी में मारे गए लोगों के वंशजो को एक लाख से तीन लाख तक मुआवजा दिया जाएगा । जो आंशिक रूप से पंगु है उन्हें 50 हजार से दो लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा । तो अस्थाई तौर पर या आंशिक तौर पर पंगु है उन्हें 50 हजार से एक लाख तक मुआवजा दिया जाएगा । जो इस केटेगरी में नहीं आते उनको केटेगरी में लाने का अधिकार भोपाल के कल्याण आयुक्त को दिया गया है । मैं जिस बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह यह है कि सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक में 1400 करोड़ रुपए पड़े हैं कानूनी बाधाओं के चलते । इन रुपयों को भोपाल के गैस पीडितों में बांटा नहीं जा सका है । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि इस भोपाल गैस त्रासदी के साथ यह भी एक त्रासदी है । उस त्रासदी के साढ़े सात वर्षों के बाद सरकार अभी तक कानूनी प्रक्रियाएं ठीक कर रही हैं । अभी तक कानूनी प्रक्रियायें ठीक नही हो पाई हैं । मैं यह भी कहना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले आदेश में दीवानी और फौजदारी मामलों में यूनियन कार्बाइड को मुक्त कर दिया गया था । लेकिन 3 अक्तूबर 91 को फिर दूसरा आदेश दिया और इस बात के लिए अनुमति दी कि यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध दीवानी और फौजदारी मुकदमें किए जा सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध वे पुराने मुकदमें जो कि छोड दिए गए थे फिर से शुरू हो गए । भोपाल के जज ने यह आदेश दिया, सम्मन जारी किया कि यूनियन कार्बाइड के पूर्व अध्यक्ष एंडर्सन को लाया जाए भारत की अदालत में खडा किया जाए । लेकिन आज तक एंडर्सन को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । आखिर इसका क्या कारण है ? भारत सरकार क्यों इस बात में ढिलाई बरत रही है यह समझ में नहीं आ रहा है । हालांकि हमारे माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि सी०बी०आई० काम कर रही है सी०बी०आई० जांच कर रही है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : एंडर्सन को गिरफ्तार करके भी छोड दिया गया ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : यह सब को मालूम है । आखिर क्या कारण है कि पहले यहां पर आए और फिर भारत से

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

भाग गए । उनको पकड़कर भारत की अदालत में क्यों नहीं लाया जा सका ? जबकि पहले न्यूयार्क में मुकदमा चला तो उस समय न्यूयार्क के जज दीनन ने कहा कि न्यूयार्क उनके लिए उचित मंच नहीं है । यूनियन कार्बाइड को चाहिए कि वह भारत में जा कर सफाई दे । लेकिन शर्म की बात है कि इस घटना के साढे सात वर्ष बाद भी मुकदमें चल रहे हैं लेकिन अपराधी छुट्टे घूम रहे हैं । अपराधी को आज तक सामने नहीं लाया जा सका ।

इसके साथ-साथ एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि किस तरह डाक्टरी सर्वेक्षण में धांधली चल रही है । डाक्टरी सर्वेक्षणों के लिए जो बुनियादी प्राथमिकतायें होनी चाहिएं कि उनका किस तरह से वर्गीकरण किया जाए या दूसरी प्राथमिकतायें हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा है । इंडियन कौंसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने भोपाल गैस विभीषका के बाद एम.आई.सी. गैस के प्रभाव का अध्ययन किया था उस अध्ययन से पता चलता है कि एम.आई.सी. गैस आदमी के शरीर के रक्त में घुल जाती है और रक्त में घुल जाने के बाद उसका स्थायी प्रभाव किन-किन रूपों में प्रकट होगा इसके बारे में आज तक अध्ययन हो रहा है । कई समाज शास्त्रियों ने इस पर अध्ययन किया है । लेकिन हमारी सरकार ने आई.सी.एम.आर. की रिपोर्ट को दबा दिया है । आई.सी.एम.आर. की यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है । भोपाल में गर्भपात के जो आंकड़े थे प्रति एक हजार में से पहले 32.17 महिलाओं का गर्भपात हो जाया करता था लेकिन इस विभीषक के बाद यह आंकड़े 370.96 तक पहुंच गए हैं । यानी एक हजार में से 373 तक पहुच गए हैं । लेकिन सरकार जिस तरह से इससे सुलझ रही है, जिस तरह से कैटेगराइजेशन किया जा रहा है वह भोपाल गैस पीड़ितों के प्रति बहुत ही अन्यायपूर्ण है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आपका मांगा हुआ टाइम भी खत्म हो गया ।

श्रीमती सरला माहेश्वरी : मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां पर डाक्टरी सर्वेक्षण बिल्कुल भेड़िया धसान तरीके से किया जा रहा है । पलमोनरी फंक्शन की जांच, आखों की जांच के लिए औरतों को जिन विभिन्न जांच से गुजरना आवश्यक है वे जांच परीक्षण उन पर नहीं किए जा रहे हैं । 6 लाख से अधिक लोगों द्वारा दावे किए जाने के बाद उसमें से सिर्फ तीन लाख लोगों का डाक्टरी परीक्षण किया गया है । तीन लाख लोगों के डाक्टरी परीक्षण के बाद सरकार उनसे जिस तरह से सुलट रही है उनसे यह कहा जा रहा है कि एक लाख से ज्यादा लोग हरजाने के लायक नहीं हैं ।

22955 लोगों को अस्थायी नुकसान पहुंचा है और सिर्फ 40 लोग स्थायी रूप से अपंग हुए हैं । इतना बडा हादसा हुआ और जिस मिक गैस से लाखों लोग प्रभावित हुए, जो आज काम करने की स्थिति में नहीं हैं, विभिन्न तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार चलताऊ ढंग से डाक्टरी परीक्षण कर रही है । सरकार का अगर यही तरीका रहा और काम करने की यही प्रगति रही तो मैं कहना चाहूंगी कि भोपाल गैस पीड़ितों के भाग में आगे न जाने कितनी और तकलीफें और दुख भरे हुए हैं । यह मामला बहुत गम्भीर मामला है । जहां हमें इस त्रासदी का महामारीमूलक ढंग से अध्ययन करके इसके गम्भीर परिणामों को सोचना चाहिए वहां आगे के लिए हम सबक ले सकें, इस पर भी विचार करना चाहिए । भोपाल गैस त्रासदी से हमारे जैसे देश को एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए क्योंकि यह हमारे जैसे विकासशील देश और तीसरी दुनिया के देशों का विकसित देशों के साथ आर्थिक सबंधों के सवाल के साथ जुड़ा हुआ है । वे विकसित देश जो विकासशील देशों को अपने विकास का कूड़ादान समझते हैं, वह विकसित देश जो हमारे जैसे देशों के श्रम का और सस्ते श्रम का दोहन करते हैं, शोषण करते हैं, जो अपने देश की ठुकराई हुई तकनीकी और अपने देश की ठुकराई हुई दवाओं को हमारे देश में लाते हैं, वे समझते हैं कि हमारे देश कूड़ादान है जहां हम अपनी चीजों का परीक्षण कर सकते हैं । हमारी सरकार

विकास की गलत अवधारणा के नाम पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देती है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगी कि यूनियन कारबाइड की इस विभीषिका से भारत जैसे देश को एक बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए और भारत सरकार को भविष्य के लिए सबक लेते हुए बहुराष्ट्रीय संस्थाओं से हमारे संबंध किस तरह के होने चाहिएं और अगर उनको हमारे देश में अनुमति दी जाती है तो हमें कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, यह सोचना चाहिए। जिस तरह से हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि आओ रानी, हम ढोएंगे पालकी, यह पालकी ढोने की प्रथा अगर जारी रही तो हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव से मुक्त नहीं हो पायेंगे। अगर इस तरह की घटनायें होती रही तो मानवता हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए अंत में यह निवेदन करना चाहूंगी कि भोपाल गैस पीड़ितों के मुआवजे के काम को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाय और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, अब तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि 40 अदालतों का गठन किया जाय, लेकिन अभी तक सिर्फ 17 अदालतें ही बनी हैं और सिर्फ चार हजार मुकदमें ही सुलझाए जा सके है। यह बड़ी निराशाजनक प्रगति है। हर वर्ष भोपाल के गैस पीड़ित दिल्ली में आते है और सत्ता के दरवाजे खटखटाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि यह जो संशोधन लाया गया है इसके जरिए भोपाल के कल्याण आयुक्त को जो अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं, जो दीवानी अदालत के अधिकार दिए गए हैं उनके अनुरूप काम किया जाय और भोपाल गैस पीड़ितों की उचित रूप से डाक्टरी जांच करवाई जाय और मानवीय दृष्टि से इस मसले को देखा जाय। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए आभारी हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हंच० हनुमन्तप्पा): मैंने नहीं दिया।

I am sorry. Parliamentary Debates also require some discipline. Otherwise, what is the use? And I request the Members to concise their speeches to the allotted time. Otherwise, what is the use of keeping the bell and ringing it if it is not respected?

SHRI B. K. HARIPRASAD (Karnataka): Thank you, Mr. Vice-Chairmen, Sir. I support the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Amendment Bill, 1992. There is no doubt that a great deal is being done to mitigate the suffering of this colossal disaster, the full implications of which are now being fully realised. The need of the hour is to organise health and medical services of high order so that the victims are provided the facilities at their door-step. This is the least that needs to be done to pay for our mistakes in planning and setting up of such a dangerous chemical factory in the heart of the city of Bhopal. It is high time now that an entire research programme was undertaken by the State and the Central Government agencies concerning the impact of the toxic emission from the Union Carbide plant on life system including the human body with the primary objective of formulating for detoxification and preventing further long term health damage to the victims.

Sir, there are apprehensions that the Government has not supported the efforts from the voluntary organisations but continued its attempt to hide the magnitude of the tragedy in Bhopal. In addition to correcting the problem of fast rehabilitation effort, the Bhopal Commission must also redirect the past emphasis on individual recovery through Government support. The Bhopal Commission must give priority to community recovery through support from the voluntary sector. Towards this end, the Commission must encourage victim participation in decision-making and must be answerable to the victims' feedback. The combined efforts of the Bhopal Commission and the voluntary sector must be restoration of community control. The Government of India must set-up an idnependent

[Shri B. K. Hariprasad]

body on Bhopal gas disaster to implement the programmes for health monitoring and care for economic rehabilitation and for provision of houing. The commission or the body must be composed of reputable persons, representatives from the State and the Central Governments and of gas victims. The purpose of commission or body is to correct the problems which have impeded the fast rehabilitation efforts. Further, due to long term consequences of the Bhopal disaster, it is important that there be a permanent evaluatory and administrative body that is uninterrupted by the various priorities of a specific Government. The commission will also coordinate the dispersal of responsibilities between the Government of India and the Government of Madhya Pradesh. The scope of the commission must adopt to the changing needs in Bhopal, particularly the onset of new diseases and other long term effects. The scope of the commission must include assumption of responsibility for the following. Health care monitoring: Recent Governmental and the non-Governmental studies on health status of Bhopal gas victims have established that a significant majority of the gas-affected population continues to suffer from gas-related diseases. While the gas victims are suffering and waiting in long queues at the hospitals everyday, the line of treatment administered to them continues to be symptomatic as it was in the immediate aftermath of the disaster. Over twenty research projects sponsored by the ICMR on the medical aspects in Bhopal have failed to generate information that could lead to the evaluation of the proper line of treatment for the gas-affected people and it appears that the search for the cure has been abandoned. Much before making serious efforts on this count, given such a situation, the national commission needs to address itself to the issues of medical relief with the urgency it deserves. The following tasks need to be carried out by the Commission. Reorganising the entire research programme undertaken by the State and the Central Government agencies concerning the impact of the toxic emission from the Union Carbide plant on life system including the human body with the primary objective of formulating an offective strategy for detoxification and prevention of further long term health damage to the victims. Devising a scientific system of medical record-keeping and ensuring its implementation . Redesigning medical documentation and formulate a long term policy of monitoring the health status of the victims and ensuring the community-based approach to the medical relief of gas victime in place of hospital-based system whose inadequacies are now being felt.

Sir, with this I request the hon. Minister to consider some of my requests and I support this Bill. Thank you, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Thank you, Mr. Hariprasad. Mr. Lather.

श्री महेन्द्र सिंह लाठर (हरियाणा) : सर, यह एक ऐसा बिल सरकार ने पार्लियामेंट में पेश किया है जिसका न तो विरोध किया जा सकता है और ना ही सरकार को बधाई दी जा सकती है। सर, 1985 में यह ओरजीनल बिल पास हुआ था और सात साल सरकार को लग गये, यह देखने में कि इस बिल के अंदर त्रुटियां रह गयीं हैं, कमियां रह गयी हैं और उन कमियों को दूर करने के लिये अब यह बिल पेश किया गया है। मैं इसके ओब्जेक्टस एंड रीजंस पढ़ रहा था, उसमें यह लिखा है :—

"The Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 confers certain powers on the Central Government to secure that claims arising out of, or connected therewith, the Bhopal Gas Leak Disaster are dealt with speedily, effectively, equitably and to the best advantage of the claimants and for matters incidental thereto."

इन बातों में से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अब तक पूरी हुई हो या आगे पूरी होने जा रही हो। मैं जब ला पढ़ा करता था तो उसमें कार्डिनल प्रिंसिपल आफ ला पढ़ा–जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी मिसाल उस कार्डिनल प्रिंसिपल की नहीं मिल सकती। यह नहीं कि आठ साल का अरसा बहुत लम्बा हो गया और जस्टिस डिले हो गया, हमारे देश में दुर्भाग्य से लिटीगेशन और इन्साफ मिलने में 15–15 साल लग जाते हैं और मुकदमें अदालतों में पड़े रहते हैं। 20–20 साल अपीलें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रहती हैं। किसी भी सरकार ने अपने इस ज्युडिशियल सिस्टम की रिव्यु करने या नज़रसानी करने की अभी तक कोशिश नहीं की कि इतना लम्बा अरसा इन्साफ मिलने में क्यों लगता है। इन्साफ के लिए लोगों को अदालतों में धक्के खाने पड़ते हैं। लड़ाई लड़ते लड़ते मर जाते हैं, उनके वारिस भी मर जाते हैं, बहुत सारे मुकदमें वैसे ही खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूं सरकार को इन्साफ दिलाने के इस सिस्टम पर नज़रसानी करनी चाहिये। इस पर दोबारा से गौर करना चाहिये ताकि उन लोगों को इन्साफ जल्द से जल्द मिल सके।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतनी भयानक, दर्दनाक घटना 8 साल पहले घटी जिसके अन्दर हज़ारों लोग मारे गये। हज़ारों औरतें, बच्चे, आदमी अन्धे और अपाहिज हो गये। अभी जैसे मेरी बहन सरला जी कह रही थीं कि जो गर्भ में बच्चे थे उन पर गैस का असर पड़ा। लेकिन हम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं न तो हम मुलजिमों को सज़ा दे पाए जिनकी क्रिमिनल नेग्लीजेंस की वजह से यह भयानक दुर्घटना हुई और न ही हम पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान कर सके। यह लोग अभी तक दिल्ली की ओर देख रहे हैं कि शायद यह सरकार सोते सोते जागे और हमारी कुछ मदद कर सके। अभी अग्रवाल साहब ने और इन्होंने भी कहा कि यूनियन कारबाइड के चेयरमैन को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है। यह मामला सब माननीय सदस्यों ने उठाया, पचोरी जी ने और श्रीमती जयन्ती नटराजन जी ने भी कहा, मैं भी सरकार से मांग करता हूं, मंत्री महोदय यहां पर बैठे हुए हैं जबकि मेन एक्युज़ को पकड़ लिया गया, दो तीन घंटे तक डिटेन किया गया तो फिर उनको क्यों छोड़ा गया? किस अथार्टी के हुक्म से उनको छोड़ा गया? सब से अधिक दुख की बात यह है कि उसको दिल्ली ले जाने के लिए सरकारी हवाई जहाज प्रोवाइड किया गया This is a thing which must be inquired into and the finling must be reported to the House. किस अथार्टी ने मेन मुलज़िम को सरकारी हवाई जहाज़ दिया ताकि वहां से भाग कर वह दिल्ली आ सके और अमरीका जा सके? कैसे उसको गिरफ्तार करेंगे? अमरीका के साथ हमारी एक्सट्रेडीशन ट्रीटी नहीं है। कौन से इंटरनेशनल ला के तहत हम उसको यहां ला सकते हैं? मैं समझता हूं झूठा विश्वास सरकार सब को दे रही है कि हम मुलज़िमों को पकड़ेंगे, सज़ायें देंगे लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मैं हैरान होता हूं कि इतना नुक्सान होते हुए भी अभी परसों के अखबार में "टाइम्स आफ इंडिया" में मैंने पढ़ा कि एक केमिकल इंडस्ट्री में गैस लीक होने से दो मजदूर मारे गये। यह परसों के अखबार में है। जगह भी मैं बताना चाहता हूं कि हलवाड़ा है जो 11 किलोमीटर देहरादून से है। ऐसी घटनाएं अब भी घट रही हैं। लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। मैंने अखबार में मंत्री महोदय का लोकसभा का जवाब पढ़ा। वहां पर भी यह मामला उठाया गया था कि सरकार आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हों इसके लिए क्या कर रही है। तो मंत्री महोदय ने कहा कि हमने गाइडलाइन्स इश्यू की है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि क्या गाइड लाइन्स इश्यू करने से ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं। इसके लिए सरकार को क्या कोई स्ट्रिन्जेंट एक्ट नहीं बनाना चाहिए? कोई ऐसा एक्ट नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उनकी सिर्फ सिविल लायेबिलिटी ही न हो बल्कि उनकी

[श्री महेंद्र सिंह लाठर]

क्रिमिनल लायेबिलिटी भी बन जाए। उनको सजा दिलायी जा सके । लेकिन सरकार मैं समझता हूं कि खाली गाइड-लाइन्स इश्यू कर रही है जिसका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए एक कम्प्रीहेंसिव बिल यहां पर लाना चाहिए। ऐसा कम्प्रीहेंसिव नहीं जो कि पहले लाया गया था। मैं तो हैरान होता हूं कि उसमें जो त्रुटियां रह गयी थीं अब इसमें स्टेटमेंट आफ आब्जेक्टस के पैरा दो में कहा जाता है कि :

The Commissioner for the welfare of the victims is the most important person. He is the person in-charge of giving relief to the victims. And why was this fact not taken into consideration by the Draftsmen of that Bill?

जितने बिल यहां पर पेश किये जाते हैं इतने क्रैबिली पेश किये जाते हैं जबकि हाउसेज के अंदर बिल को पेश करने के लिए उसके सब पहलुओं पर गौर करना चाहिए। उसको हर प्रकार से परख लेना चाहिए कि क्या क्या इसकी जरूरत है, क्या क्या हमें इस के लिए करना चाहिए। तब वह बिल आना चाहिए । मोटी सी बात है जो क्वासी जुडीशियल ट्रिब्यूनल बनाये गये थे अगर उनके पास अदालत के जज के अख्तियारात नहीं होंगे, अगर वे गवाह नहीं बुला सकेंगे, अगर डाक्यूमेंट्स तलब करना चाहते हैं और उनको सम्मन नहीं कर सकते, अगर कोई आदमी उनकी हुक्म उदूली करे और उस पर कन्टेम्प्ट करके सजा नहीं कर सकते तो कोई भी कोर्ट काम नहीं कर सकता। यह एलीमेंट्री बात थी लेकिन 1985 में जब यह बिल लाया गया तब किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। 7 साल के बाद आंखें खुली कि ये जो क्वासी जुडीशियल कोर्टस हैं, ये बेमानी हो जाएंगे, कोई अफसर इनका हुक्म नहीं मानेगा। कोई डाक्यूमेंट पेश नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आगे से कम से कम सरकार जो भी बिल लाती उसको उसके हर पहलू पर गौर करना चाहिए।

इस बिल के अंदर एक और उम्मीद मैं आपसे कर रहा था जैसे आप इसमें अमेंडमेंट लाए है । जो हमारा सिविल प्रोसीजर है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो हमारे रुल्स हैं मुकदमे चलाने के अदालतों के अंदर उनमें इतना टाइम लग जाता है, इतना लम्बा प्रोग्राम हो जाता है। 8 साल पहले गुजर चुके हैं । मंत्री महोदय, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि अब भी वक्त है, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें एक अमेंडमेंट और लाकर उन क्वासी जुडीशियल ट्रिब्यूनल्स को समरी ट्रायल्स की पावर्स दे दीजिए, बजाये डे टु डे रुटीन जो कोर्ट वर्क होता है क्योंकि उससे ये मुकदमें और 10 साल खत्म होने वाले नहीं हैं। 6 लाख केसेज हैं, क्लेम्स हैं और सिर्फ 4 हजार का अभी तक फैसला हुआ है। आज सरकार यह क्यों नहीं सोचती कि उन क्वासी जुडीशियरी ट्रिब्यूनल्स को समरी ट्रायल पावर्स दे दी जाएं ताकि ज्यादा लम्बे प्रोसीजर में न पड़कर कानूनी दंगलबाजी में न पड़कर उनको बुलाकर, पार्टीज को बुलाकर जल्द से जल्द उनका निपटारा करके उनको मदद दी जाए। मैं समझता हूं कि यह समरी पावर अब भी सरकार अपने कानून से अमेंडमेंट लाकर दे सकती है। या यह पावर्स कमिश्नर्स को या दूसरे लोगों को देना चाहते हैं तो उसके तहत ये पावर्स दी जा सकती हैं तभी मैं समझता हूं कि उनको कुछ यह राहत मिल सकती है। आगे से यह घटना न घटे इसके लिए जब तक क्रिमिनल लायेबिलिटी उसके ऊपर नहीं लागू की जाएगी—एक सुझाव और देना चाहता हूं मंत्री महोदय को कि जो बीमा कम्पनियां हमारे देश में हैं हम उनका कोई फायदा नहीं उठाते हैं। ये जितनी भी इस किस्म की केमिकल इंडस्ट्रीज हैं जहां पर इस किस्म का खतरा होता है कि किसी केमिकल आइटम से या गैस से नुकसान हो सकता है वहां पर एक तो इंडिवीजुअल जो लेबर काम करता है उसका बीमा होना चाहिए। और दूसरा सामूहिक बीमा होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई वाक्या हो जाता है, तो उनको इमीजेट रिलीफ बीमा कंपनी से मिल जाए लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी कोई प्रोवीजन शायद सरकार ने न सोची है

और न अभी तक रखी है कि दो किस्म के बीमे होने चाहिए—एक इंडिविज्युअल जोकि वहां पर लोग काम करते हैं और दूसरे सामूहिक और उसके अंदर ऐसी शर्त होनी चाहिए बीमा कंपनी के साथ कि उसमें एमीजेंट रिलीफ भी उनको मिल सके। (समय की घंटी) सर, जितनी जल्दी-जल्दी आप घंटी बजा रहे हैं, अगर सरकार इससे आधी, तिहाई भी, बसवां हिस्सा भी कुछ जल्दी करके उनको मदद दे देती तो उन पीड़ित लोगों को आराम मिल जाता। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी बात थी।

सर, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि तकलीफ की बात है—हमसे लोग पूछते हैं, यहां पार्लियामेंट में आते हैं, बहस करते हैं और कितने अफसोस की बात है कि 21 जुलाई को यह बिल वहां पास हुआ, कितने हम उससे वरीड हैं उनके फ्यूचर से—यह मैं बताना चाहता हूं—21 जुलाई को लोक सभा ने यह बिल पास करके यहां पर भेज दिया और यह बिल तब से हमारे एजेंडे में चला आ रहा है। हर चीज को प्रायर्टी दी गई, हर चीज को प्रेफर किया गया इस एक्ट से, कभी कोई बिल आता है, कभी कोई बिल आता है। छह दिन हमें भी हो गये सब चीज देखते कि यह बिल आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। . . . (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : दी गई नहीं, ली गई।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : ली गई—लेकिन, सर, मैं कह रहा हूं कि अभी वी आर ट्रीटिंग इट सौबिली। यहां पर भी दूसरे आइटम्स, फिजूल के आइटम्स, म्यूनल रायटस, लड़ाई, दंगे-फिसाद के रोज इस हाउस में होते हैं, लेकिन भोपाल गैस लीक का बिल जो है, उसको पीछे-पीछे धकेला जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप अभी जल्दी कीजिए ताकि वह पास हो जाए।

श्री महेन्द्र सिंह लाठर : सर, मैं यह कहना चाह रहा था कि इसी तरीके से—अब यह कल भी कहा जा रहा था कि जो भी फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया। यह भी कहा गया कि जितना हमें मुआवजा मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला।

मैं तो ईमानदारी से कई बार यह सोचता हूं कि जब यह मुकदमा हमारी सरकार ने पहली दफा अमरीका में दायर किया था, अगर यह मुकदमा वहीं रह जाता, वहीं इसका ट्रायल होता, तो क्या यह नहीं हो सकता कि हमें बहुत जल्दी उसका रिलीफ मिलता और उससे जो अमाउंट हमें मिला है, उससे कहीं ज्यादा हमें कंपेनसेशन मिलता, जो रेट आफ कंपेनसेशन अमरीका के अंदर है।

मैं सोचा करता हूं कि वह मुकदमा वहां से शिफ्ट करके यहां लाया गया इस वास्ते ताकि उनको जल्द से जल्द राहत दी जा सके। लेकिन उसके बिल्कुल उलट हुआ। हो सकता है कि अमरीका में जो कोर्ट्स थ, वह इस मसले का जल्दी से जल्दी निपटारा करते और पता नहीं वह कितना अमाउंट हमें उसका दे सकते थे। हमने इसका कोई फायदा नहीं उठाया।

सुप्रीम कोर्ट ने यह सोच कर एक राजीनामा, कंप्रोमाईज के बेस के ऊपर कि किसी तरह जल्दी इनको पैसा मिल जाए, चार महीने का टाइम दिया था कि चार महीने के अंदर अंदर चालीस ट्रेब्यूनल्स बनाए जायें, लेकिन वह चार महीने क्या, पता नहीं कितना टाइम गुजर गया और अभी तक चौदह या सतरह कितने बनें, जिनमें से तीन चार छोड कर चले गए, बाकी कुछ आपरेट नहीं कर रहे हैं। जो एपीलेट कोर्ट है, नोबाडी इज बादर्ड, उनको बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं मिल रही है, काम करने के लिए अफसर नहीं मिल रहे हैं।

मैं तो समझता हूं कि यह बहुत बड़ा मजाक है और अगर यह पैसा हम बहुत जल्द उन पीड़ित लोगों तक नहीं पहुंचा सके, इससे तो यह अच्छा है अगर दस साल और लगने हैं, यह जो अमाउंट हमारे पास पड़ा है, वह अमाउंट सरदार मनमोहन सिंह के हवाले कर दें—शायद यह देश के किसी और काम आ सके। धन्यवाद।

श्री मूल चंद मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक, 1992 पेश किया है, मैं इसका समर्थन तो करता हूं, लेकिन मैं अपने कुछ सुझाव और जो आज तक भोपाल के अंदर जैसी त्रासदी हुई थी, उसने सारे विश्व को झकझोर दिया था, वह ऐसी घटना थी ।

उस घटना ने भोपाल के अंदर कई माताओं की गोदें छीन लीं, कई बहिनों की चूड़ियां छीन लीं । यह एक ऐसी घटना हुई कि रात को, शाम के वक्त सोते समय, प्रेम के साथ मनोरंजन करते हुए खुशी खुशी सारे लोग अपने घरों में सोए। यह किसी को पता नहीं था कि काल का एक ऐसा घटनाक्रम होगा कि सुबह हम देखेंगे तो काल के मुंह में हमारे यह लोग काल के ग्रास बने हुए हम पायेंगे । जो लोग इस क्षेत्र में मर गए, वह तो मर गए, मरने के साथ जो इस एरिया के अंदर लोग हैं उनकी स्थिती बड़ी दयनीय है जो लोग गैस से प्रभावित हुए ने और उनको राहत देने की जो बात है, उनको श्रेणियों में बांटा गया है । श्रेणियों में वे लोग कौन सी श्रेणी में आयेंगे जो आज पैदा हो रहे हैं और गैस का प्रभाव उनके ऊपर है ? किसी के नाक नहीं, कान नहीं, हाथ नहीं, पैरे नहीं, लूला है, लगडा है, वह कौनसी श्रेणी में आयेंगे ? जो श्रेणियों का विभाजन किया गया है यह गलत है गैस से पीड़ित लोगों की श्रेणियां नहीं बनाई जाए । जो लोगे मर गए हैं वह तो एक श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन जो पीडित हैं उनके सारे लोगों की एक ही श्रेणी होनी चाहिए और उनको मुआवजा भी बराबर का दिया जाना चाहिये । साथ ही अब तक 8 साल के अंदर उन गैस पीडितों की दयनीय स्थिति की ओर न तो राज्य सरकार ने सोचा है और केंद्र सरकार वे अभी तक सोचा है । कब तक वे लोग राहत राशि के लिए इतजार करते रहेंगे ? उनमें से कई लोग तो मर जायेंगे और उसके बाद वह राहत राशि उनको मिलेगी । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा यदि आपकी उनको राहत पहुचानी है तो साढ़े सात वर्ष का जो पीरियड निकला है वह बहुत था । अब तो तुरंत उनको राहत राशि दे देनी चाहिए । राहत राशि के लिए भी जो सिस्टम बनाए गए, जिन लोगों ने उस समय दावे कर दिए थे, जिन लोगों के परीक्षण किए गए, परीक्षण का कार्य तो आज भी उस एरिया के अंदर किया जाए तो वहां पर सारे लोग ही आपको गैस से पीड़ित मिलेंगे । इस प्रकार का एक सर्वेक्षण, एक परीक्षण इंडियन मेडिकल रिसर्च कौंसिल की ओर से किया गया था। उसकी रिपोर्ट है कि 87 परसेंट लोग उस एरिया के गैस से प्रभावित हैं, फिर उनमें से कम संख्या के लोगों को गैस से पीड़ित क्यों माना जा रहा है ? इसलिए सारे लोगों को जो कि गैस से प्रभावित हैं उस एरिया के, उनको राहत की राशि दी जाए । साथ ही मैं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया, निर्देश दिए, चाहे वह राज्य सरकार को दिए, चाहे केंद्रीय सरकार को दिए, उसके बारे में कहना चाहता हूं । सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया था कि मुआवजे का निर्धारण करने के लिए जितने भी केसेज हैं, दावे हैं, उनका निस्तारण चार महीने में हो जाना चाहिए और हुआ क्या ? आज तक 6 महीने होने के बाद 3 या 4 हजार केसों का निस्तारण हुआ है । यदि यह प्रक्रिया ऐसी चलती रही तो यह गैस पीडितों के दावों के निस्तारण में ही 15 साल लग जाने हैं । 15 साल के बाद उनको यह तय होगा कि यह राहत राशि दी जाए । उसके बाद उनको राहत राशि देने में भी टाइम लगेगा । इसलिए 20–25 वर्ष पहले इन लोगों को राहत नहीं मिल सकती । दूसरा एक आदेश और सुप्रीम कोर्ट ने किया कि यूनियन कार्बाइड चार माह के भीतर गैस पीडितों के लिए एक चिकित्सालय स्थापित करेगी और राज्य सरकार उसके लिए जमीन उपलब्ध कराएगी । उसको भी 6 महीने हो गए, अब तक राज्य सरकार ने कोई उस एरिया के अदर, गैस पीड़ित एरिया के अंदर कोई जमीन उपलब्ध नहीं कराई और न ही किसी प्रकार के चिकित्सालय की स्थापना की कार्यवाही वहां पर की गई है ! तो क्या राज्य सरकार और

केंद्रीय सरकार उन लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था के लिए अलग से अस्पताल की स्थापना नहीं कर सकती ?

जब कि आज हम हर प्रांत के अंदर कई चिकित्सालय, नए चिकित्सालय बनाते हैं । इसके लिए पैसा भी दिया गया, उनके चिकित्सालय के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया गया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उस पैसे का क्या किया ? उस पैसे को दूसरे अस्पतालों में, जो वहां पर कमला नेहरू अस्पताल, जय प्रकाश अस्पताल, काटजू अस्पताल आदि हैं, वहां दे दिया । और, उस पैसे का उपयोग क्या हो रहा है ? यह वहां के कर्मचारियों के वेतन के लिए दिया जा रहा है । गैस पीडितों का पैसा वहां इस तरह उपयोग किया जा रहा है । यह अनुचित है और यह गलत है । जिन लोगों की दयनीय स्थिति है, गैस से प्रभावित है, उनके इलाज के लिए दिए गए पैसे का दुरुपयोग वहां हो रहा है । इसको रोका जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ गैस पीडित लोग अपना दावा पेश करने से वंचित रह गए थे । उनसे राज्य सरकार ने दो वर्ष पूर्व फार्म भरवाए थे, लेकिन आज तक उन फार्मों का राज्य सरकार ने क्या किया, इसका भी अता पता नहीं है । मैं केंद्रीय सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो गैस पीडित लोग अपना दावा पेश करने से रह गए थे, उनके लिए आप एक ऐसा कानून बनायें जिससे वे लोग आज भी अपना दावा प्रस्तुत कर सकें । ऐसी सुविधा उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

महोदय, यहां तक उनकी चिकित्सा की बात है, सर्वप्रथम तो डाक्टर ही नहीं हैं, यदि डाक्टर उपलब्ध भी हैं तो दवाइयां नहीं हैं और दवाइयां भी है तो वह दवाइयां उपयोग में लाई जा रही है, जैसे एण्टि बायाटिक, जिन पर बाहर के देशों में प्रतिबंध है । तो ऐसी दवाइयां हिन्दुस्तान के गैस पीडितों को दी जा रही हैं । इस तरह क्या आप लोगों का भला करना चाहते हैं या गैस पीडितों को समाप्त करना चाहते हैं ? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा ।

महोदय, आज उप एरिए की वहां स्थिति यह है कि जो गैस पीड़ित एरिया है सड कें, टूटी हुई हैं, कोई पेड़ पौधे नहीं हैं । ऐसी स्थिति है उन कालोनियों की ।.. **(समय की घंटी)** ...

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप कोशिश कीजिए खतम करने की ।

श्री मूल चन्द मीणा : कोशिश करते हैं । कोशिश करते हुए तो साढे सात साल हो गए हैं ।... **(व्यवधान)** ...

एक माननीय सदस्य : खतम करने की कह रहे हैं ।

श्री मूल चन्द मीणा : लोगों को खत्म करने की कोशिश है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : नहीं, आपकी तकरीर । लोगों को क्यों खतम करते हो आपकी तकरीर पूरा करने की कोशिश कीजिए । दो बार घंटी बज चुकी है ।

श्री मूल चन्द मीणा : सर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से गैस पीड़ितों के साथ वहां व्यवहार राज्य सरकार या केंद्र सरकार का सहयोग उन्हें हो उससे किया जा रहा है, यह अनुचित है । जब वहां लोग गैस से प्रभावित हुए थे, वहां गैस पीड़ितों के लिए उस समय यह व्यवस्था की गई थी कि इनको रोजगार दिया जाएगा, दस हजार आदमियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, इनके लिए अलग से इण्डस्ट्री निगम बनाकर इनको रोजगार दिया जाएगा । क्या हुआ आपकी उस योजना का ?

किसी को रोजगार नहीं दिया गया, बल्कि कुछ महिलायें, जो विधवा थीं या वहां पानी जो मिल रहा है वह भी दूषित मिल रहा है और दूषित पानी का उपयोग वहां के लोग कर रहे हैं, जिसका असर और ज्यादा वहां के लोगों पर पड़ रहा है । पानी के लिए नल तो वहां हैं नहीं सार्वजनिक गड्ढा खोदकर पानी लिया जाता है । उस एरिया में पर्यावरण इतना दूषित है कि वहां प्रकाश के लिए रोशनी नहीं आती, गन्दी नालियां हैं,

[श्री मूलचन्द मीणा]

गैस से पीड़ित थीं, उनको आर्थिक सुविधा देने के लिए उन्हें सिलाई मशीन का प्रशिक्षण, सिलाई की मशीन का कार्य उनको दिया गया था । अभी इस 25 जुलाई, 1992 को उसको भी बंद क या गया है । आज उन विधवाओं की यह ति हो रही है कि उन्हें अपना पेट पालने भी मुश्किल हो रहा है, उनकी आज यह स्थिति है । इसके साथ ही दस हजार रोजगार उपलब्ध कराने की बात की थी, वह भी किसी गैस पीड़ित को उपलब्ध नहीं कराए गए । वहां भूमिगत नालियों का काम भी बरसों से रुका पड़ा है । भूमिगत नालियां बन जाएं तो वहां गन्दगी में कमी हो सकती है । इसी के साथ साथ, महोदय, उस समय कुछ गैस पीड़ितों को गुमटियां मिली थी रहने के लिए, तापडियां मिली थी छोटी छोटी, लेकिन आज जो भोपाल की सरकार है, उसने अतिक्रमण के नाम पर उन गैस पीड़ितों की गुमटियों को भी छीन लिया है ।

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : गलत है यह ।

श्री मूलचन्द मीणा : यह सही बात है ।

श्री संघ प्रिय गौतम : गलत बोल रहे हैं ।

श्री सुरेश पचौरी : अगर छीन लिया होगा तो वापिस कर देंगे, यह उनका तात्पर्य है ।

श्री मूलचन्द मीणा: इन्हें तो कुछ भी कहें, दर्द होता है । कोई कहता है सही बात तो कैसे दर्द होता है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : अब खत्म कीजिए मीणा जी ।

श्री मूलचन्द मीणा : जब मैंने इतनी इसकी तैयारी की है तो थोड़ा सा और बोलने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष : नहीं, नहीं । बहुत टाइम लिया है । आपने अगर राहत जल्दी पहुंचानी है तो हमें इसे जल्दी पास करना है । तीन-चार दिन से हम इसे खींच रहे हैं ।

श्री मूलचन्द मीणा : अभी तक तो सरकार के पास गैस पीड़ितों का पर्याप्त रिकार्ड ही नहीं है । यदि रिकार्ड है तो तो वह नाममात्र का है । जब इस रिकार्ड को भी पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उनकी आर्थिक सहायता पर कैसे विश्वास किया जा सकता है कि उनको वह पूरी आर्थिक सहायता करा दी जाएगी ? गैस पीड़ितों का चिकित्सा परीक्षण भी नियमित रूप से नहीं होता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): You have to make up your mind to conclude now. I will call another speaker now.

श्री सुरेश पचौरी : (महाराष्ट्र) : 5.00 बजे तक बोलने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : नहीं ।

श्री मूलचन्द मीणा : मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं । . . . (**व्यवधान**) . . .

श्री सुरेश पचौरी : नए सदस्य हैं, मान्यवर, 5.00 बजे तक बोलने दीजिए ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : मुझे मालूम है ।

श्री मूलचन्द मीणा : मैं माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि यूनियन कार्बाइड के कोई बोर्ड आफ डायरेक्टर उस समय कौन कौन थे, उनका नाम बताया जाए ? इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गैस से प्रभावित लोगों के लिए जो राशि अब तक आपने तय की है, वह बहुत ही कम है, आप ज्यादा राशि उपलब्ध करायें और उन्हें राहत के रूप में बांटें और इसमें देरी न हो ।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं ।

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support this Amendment in the sense that it is timely and also it is long awaited for speedy implementation of awards to the persons who are suffering from the Bhopal gas leak. Actually it has

come in the shape of execution of the award about seven-and-a-half years after this disaster has occurred.

A number of people have lost their lives. Many are still suffering, but they are not at all being taken into account. Actually there is no medical record at all of the people who are suffering. There are many categories of people who are taken as people who are not entitled for any compensation. There are so many categories like that.

For instance, one school girl, aged about 17 years, says that often she is having chest pain, burning sensation. Actually, after examining her, the doctors gave a certificate to the effect that it was only temporary, and they gave her some medicine. But she says that it is still persisting. Such cases are also there. They should be taken under the purview of this Amendment. There is absolutely no provision for those persons, who are still suffering because of the aftermath of the gas leakage. The State Government has medically examined only 57 per cent. Out of those there are 6,38,793 claimants. The rest of the people are left in the lurch. The remaining 43 per cent are considered to be free of injury. That is why I said that the people who are actually having no injury have to be marked out by some medical examination. Of them there has been absolutely no medical examination. Anyway their suffering is there. The suffering of such teeming people has not been taken into accout. The Minister should take note of this fact and make a provision also for those who are having this temporary but continuous suffering.

The compensation given to the next of kin of the deceased is between Rs. 2 lakhs and Rs. 4 lakhs and for those who have got partial disability the compensation fixed is between Rs. 1 lakh and Rs. 2 lakhs. In most cases there is a need for continuance of the medical facilities because the injury caused to them is life-long. The award that has been passed in their favour actually will not be enough to meet their life-long medicinal expenditure. That question has not been taken into consideration at all.

Only Rs. 25,000 have been awarded for those who have got minor injuries. In most cases it is reported that they have got long poisoning or some other lung disease. Some of the diseases are in the offing and some in the middle stage. Such cases also have not been taken into consideration. Most of the people who have got examined, they say they do not have any medical record at all. My submission is that their cases also should be taken into consideration and a thorough inquiry should be held in that sphere. The people who are actually in the beginning stage of these diseases, mostly lung diseases, are facing a dangerous situation and their cases have to be considered.

The Supreme Court has told the Government of India that those victims of the leakage, numbering more than one lakh, who have been left out of the scheme, should not be neglected. Their cases should also be taken into consideration. Of course, the Minister will take into consideration those cases, though they do not find a place in the amendment. since these are also very important cases, these guidelines should be incorporated in the amendment. I hope the hon. Minister will consider it.

As I have already said, the next of kin of the deceased in the tragedy will get Rs. 1 lakh to Rs. 3 lakhs. That is the norm that has been fixed. The guidelines have been released by the local Government. While releasing the guidelines in a Press conference, the Minister had said so far as fixation of the amount to be disbursed is concerned, the State Government is not at all concerned. It is the concern of the Central Government only. Of course, here I may

[Shri Tindivanam G. Venkatraman]

point out that nothing prevented the State Government from saying or advising or giving their opinion over the matter where there should be the maximum compensation 5.00 P.M. with regard to various categories. They could have given their opinion. But the Minister says that it is not their concern, but whatever the Central Government gives they are obliged to give. Therefore, this category is not covered by the Supreme Court order. This must also be taken into consideration. Similarly the claims should also be taken into consideration.

My previous speaker has mentioned about the trial. That may also kindly be taken into consideration. I think summary trial is the best trial which can be taken into account especially by the courts set up for the purpose of compensation claim because it is an arduous task. Even in small motor accident claims, it takes a long time. If you file a claim, it takes nearly 5 to 6 years to decide a case. By the time the claim is settled, we do not know whether the party concerned is alive or not. This is a matter to be investigated. That is why the summary trial will certainly help to speed up the cases. The central point to be considered is when the party concerned was actually injured and whether the injury was sustained at the time of this gas leakage. With regard to the certificate, a medical certificate can be given to this effect. The summary trial is the best suited trial for this compensation claim. I suggest to the Minister that the summary trial procedure should be adopted in this case.

I must also place on record my appreciation regarding the bold steps taken by the Chief Judicial Magistrate in attaching the property of the Union Carbide not only in this country but also extending it to the foreign country. After several pleadings and after the CBI has given an application, an order for the attachment of Judicial Magistrate. He deserves all congratualations. It was a bold step to pass such an order. He has also given certain guidelines. Though there is no extradition treaty, some how the Government should see that the accused persons who are still absconding should be brought to tribal. They must see that the courts should have sufficient time to try the accused persons for the gross negligence on their part and having caused this misery. With this, Sir, I conclude. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): If the hon Members agree, the Home Minister can make his statements and we can take up clarifications tomorrow so that we can pass this important Bill which is being dragged on for the last two or three days.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: May I know whether clarification will be taken up tomorrow after the Question Hour?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): That will be decided later on.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I am agreeable... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): That will be fixed depending upon the business of the House. Let us not insist upon it.

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Again it will be postponed to 7 o' clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): We cannot discuss the 'ifs' and 'buts'. Yes, Mr Minister.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, we all agree that this is an important Bill. You can postpone 'clarifications on the statement' to tomorrow.

SHRI M. M. JACOB: As suggested by the Vice-Chairman, I am only making a statement. The discussion on the Bill will continue because it is an important Bill. I also see its importance.

STATEMENTS BY MINISTER

I. RE: Incident of Bomb Exposion in a Mosque in Rai Bareilly, Uttar Pradesh on 3rd August, 1992.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Mr. Vice-Chairman, Sir, according to information received from the Government of Uttar Pradesh, on 3rd August, 1992 at about 0800 hours, there was a bomb explosion inside the courtyard of Jama Masjid in Mohalla Chhota Bazar in Rai Bareilly city. As a result, two children aged 10 and 11 years, who were sitting on the 'chabutra' above the basement in the courtyard of the mosque, were killed. In the explosion, a wall and the 'chabutra' in the courtyard were damaged. One girl, aged 20 years, who was sitting in the courtyard in her house adjacant to the mosque was injured; she was discharged from the hospital after first-aid.

An *ex-gratia* amount of Rs. 20,000/- each to the next of the kin of the deceased children and an amount of Rs. 1,000/- to the injured has been announced by the State Government. Arrangements are being made to repair the damaged 'chabutra' and the wall of the mosque.

On receipt of the information, senior officers reached the place of the explosion. The debris was removed from the place of the explosion to ensure that there were no dead bodies. First Information Report has been lodged by the father of the deceased children.

The State Government have informed that for speedy and effective investigation, a team of the Crime Investigation Department has been directed to visit Rai Bareilly. The team will be headed by an officer of the rank of Superintendent of Police. A strict watch on the situation is being kept by the senior officers, and police is patrolling Rai Bareilly city.

Sir, the U.P. Government has today informed through a fax message that a team of the Crime Investigation Department has already reached Rai Bareilly and started the investigation.

II. Killings by suspected militants in District Pilibhit, Uttar Pradesh.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Sir, I rise to inform the House about the tragic incident of the killing of 29 persons in the Pilibhit District of Uttar Pradesh.

According to information received from the State Government, 19 persons from village Ghunghchai, PS Pooranpur, District Pilibhit and 10 from village Shivnagar, PS Gajraula, District Pilibhit, had gone to the nearby forest to collect some local wild vegetables on 31st July, 1992. Of these 29 persons, 3 were women. When these persons did not return, the villagers went out to search for them on the 1st of August and when they were unable to find them, they reported the matter to the police.

The police launched search and combing operations and around midday on 3rd August found the bodies by the side of a small river by the name of Khannaut. The villagers were found with their hands and feet tied and appear to have died by strangulation. An attempt also app-

[Shri M. M. Jacob]

ears to have been made to set the bodies on fire, which however, did not succeed, perhaps on account of rain.

No group or person has yet claimed responsibility for the killings. It is suspected that two or three gangs who are said to be moving in the area may be responsible. Police and para-military forces have launched intensive operations for combing of the entire area which is densely forested and is about 8 kms from the main road.

The District Magistrate, SP, DIG, Divisional Commissioner and the Zonal IG of Police visited the site on 3rd August and nearby district have been alerted.

The Chief Minister has visited the area on 4-8-1992 alongwith two ministerial colleagues and the DGP. Rs. 20,000/- has been paid to each affected family as immediate *exgratia* relief.

The Government of India have allotted sophisticated fire arms including AK-47 rifles, self-loading rifles, carbines, LMGs, pistols, etc., to the UP Government. The supply may not have met the total requirements of the State Government in view of overall constraint of availability of weapons at the national level.

As many as 44 companies of paramilitary forces have been deployed in U.P. We suggested to all the State Governments including U.P. to raise India Reserve Battalions and have offered that 50 per cent of the initial cost of raising will be fully met by the Government of India as a grant and the remaining 50 per cent expediture will be provided as a long-term loan. We have yet to receive a proposal from the U.P. Government.

A meeting was held by me on 29-2-1992 with the Chief Ministers of the States and the Governors of Union Territories which are affected by terrorist activties to chalk out a strategy for combating terrorism. After a frank discussion in the meeting, certain decisions were taken. A cell has been created in the Home Ministry under a Special Secretary and the State Governments/UTs were also requested to have a cell in their jurisdiction. A meeting of the concerned Home Secretaries and Directors-General of Police of the States/UTs was held in the Home Ministry on 28th April, 1992. In this meeting the information and intelligence about terrorists, their activities their *modus operandi* etc. was up-dated and exchanged. The logistics and strategy to contain and combat terrorism was also planned. Thank you

---

III. Announcement Re. Arrest and Release of a Member.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): Hon. Members, I have to inform the House that a wireless message has been just received from the SHO, Parliament Street, New Delhi that Shri Bhupinder Singh Mann, a Member of Rajya Sabha, has been detained at 13.1 hours and released at 15.15 hours today on 5-8-92 at Police Station Parliament Street, New Delhi, under section 65 of the Delhi Police Ac

SOME HON. MEMBERS: What about clarifications?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H HANUMANTHAPPA): It has already been decided to take up the clarifications tomorrow.

THE BHOPAL GAS LEAK DISASTER (PROCESSING OF CLAIMS AMENDMENT BILL, 1992—Cont

SHRI N. GIRI PRASAD (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, S eight years after this catastrophe took place in Bhopal, we are still discussing how to provide relief That is the state of affairs as far our administration and welfare me

sures are concerned. The present amendment Bill which has been brought here may be a technical matter which the Government may need to speed up the procedure for the implementation of the Supreme Court decision. The Government may not take responsibility for the entire delay. Even after the Supreme Court gave its verdict, almost one year has passed. The Supreme Court also directed the Government to start the relief operation or to provide a permanent relief from February onwards but now we are discussing this Bill.

My main point is that the Government, in the meantime, has issued guidelines on the basis of which the relief will be distributed to the victims.

Now, there is a lot of heart-burning among most of the gas victims. The guidelines are arbitrary in nature. They do not take into consideration the actual state of affairs. As far as I understand, more than six lakh claimants were there for relief. The Madhya Pradesh Government has been distributing Rs. 200/- per month to almost five lakh people till now. Everybody understands that the actual victims may be around five to six lakhs. But according to the guidelines prepared by the Central Government, the main criteria they have set are they must be medically examined and they must be permanently injured or disabled. Of course, as far as deceased persons are concerned, there may not be a problem, but there are people who may not be permanently disabled or permanently injured or there are other people being temporarily injured and we don't know, such type victims, even according to the medical parlance even after some years of the injury on this adverse effect may suffer relapse and they may undergo serious difficulties; we can't say. Nobody can be sure. Moreover, these victims are supposed to be living in those 36 wards of Bhopal city, but everybody says that this gas spread over a much larger area, even beyond these 36 municipal wards. According to these guidelines, perhaps, those living within these 36 municipal wards are eligible for this grant of relief. Because of these guidelines, many people are afraid that they won't get any relief. Even those people who are getting these Rs. 200/- per month will not be eligible also. I can't understand this medical categorisation which was done. Some people say, 'temporary injuries', 'permanent injuries', 'temporary disablement caused by temporary injury', 'temporary disablement caused by permanent injury', 'permanent partial disablement' or 'permanent total disablement'. Besides these deaths, these are the so many categories made. Whether they are temporarily disabled, temporarily affected or permanently affected, the quantum of assistance may vary; I have no objection. In the case of death, the quantum must be more; in the case of permanent injury, the quantum may be to a lesser extent and even for these temporary injuries some help must be given. The people who are temporarily injured must get some help. This categorisation, medical examination, could be done only with regard to 50 per cent of the cases; that is the information I am having. Even to determine these cases only 17 courts have been set up so far. Even after these four months or from February onwards all these things which should have taken place are moving very haltingly they are moving very slowly and most of the victims, lakhs of victims who have applied for relief are afraid that they won't get any relief. So my request is that the Government should change these guidelines. They must take into confidence the State Government, the local parties as well as the representatives of these victims. After consulting with all these sections, I think, the Government will be able to come to proper assess-

[Shri N. Giri Prasad]

ments, proper conclusions. I want to know from the Minister whether he is preared to consult these sections and arrive at an understanding or he wants to leave the whole thing in suspense and implement these arbitrary guidelines and make the people permanently unhappy or he wants that the people who are temporarily injured or disabled may not get any relief. Lakhs of people are there I appeal to you to revise these guidelines in consultation with the concerned people and provide proper relief and to see that that relief should also be given at the earliest possible time so that this suffering may not prolong further.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Mr. Vice-Chairman, as my friend, Mr. Giri Prasad, who spoke just before me, has pointed out, after eight years of the disaster we are still engaged in the technicalities of the matter. We have not been able to come to the brass tacks, so to say, because whatever amount has been disbursed so far has been done on an *ad hoc* basis in spite of the guidelines and in spite of the Act framed some seven years back. So far as the Bill is concerned, the Bill with which the Government has come out after seven years, let us hope out of experience that these amendments are necessary in order to expedite the work. If that is so, nobody will object. But even after seven years if the stress is only on the technical aspect of it, it will really be very regrettable. I recall when the Supreme Court, the Apex Court of the country, clinched the question of compensation with an amount of Rs. 480 crores—so far as I can remember it is with the concurrence of the Union Carbide—there was a hue and cry, there was objection, there was a question of revision petition. But from the side of the Supreme Court there was the unusual step of explaining its action which was not a judicial verdict but a compromise arrived at after hearing the Union Carbide. The question of revision petition came up and ultimately—so far as I can remember—the revision petition was not made. But everybody was flabber-gasted considering the magnitude of the disaster, the crime, which is on the head of the management of the Union Carbide, that it should be settled at such a paltry sum. But that is why even with that amount it has not been possible to decide how to settle the claims. Now, the Commissioner and his subordinate officers are proposed to be included in the category of authority so that as a civil court they can decide the thing. Now as the Supreme Court decided this issue, the issue of overall compensation—there was a suggestion; I don't exactly remember, perhaps, Mr Venkatraman made a suggestion that it should be treated as a summary a sort of summary trial—no trial is involved, but the claim have to be established. But the establishment of the claims should be done at a level of summary trial, so to say, on the basis of the understanding of the authority regarding the claim of a particular person. Various problems have cropped up the problems have been referred to by various speakers The claims, which type of injury can receive what claim or what compensation and all these things are still pending. A large number of victims who have died have no problem. But those who are in the realm of living in this great country, they are really suffering and suffering in a manner which beggers description That is the position in regard to them. All of us shed enough tears If tears could do something by this time all their sufferings should have been washed away. It is a matter of fact that sufferings stand where they were. So far as this Bill is concerned, at least that is what seems to me

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI I HANUMANTHAPPA): Please conclude.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: I am concluding. There

nothing exceptionable in it. But what is a bit fearsome is to tell that the cases would be decided by an authority who will be considered to constitute a Civil Court. Civil cases in our country drag on for a number of years. If that trend is emulated by these authorities also, God help the gas victims. I hope the Government and the Minister will take care of these aspects and would not only revise the guidelines for the victims but at the same time provide guidelines as to how these authorities should conduct themselves in settling the claims.

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, surprisingly, every hon. Member has been treating the effect, not the cause. Today, I am revealing highly sensational facts about the Bhopal Gas Leak Disaster which are the facts investigated by myself.

In 1960s, India was promoting its 'Green Revolution' a plan to eliminate the chronic food shortages of its socialised system. India was to become self-sufficient in food by modernising its agricultural methods. So, when approached by the Union Carbide about building a pesticide plant, the Central Government was highly responsible.

Bhopal's central location in the nation offered transportation advantages, but some of the real incentives for site were provided by eager local officials. Government land on the outskirts of the city was leased to the factory at a yearly rent of only Rs. 480 per acre. Electricity and water were offered at nominal prices. Taxes were negligible. The company invested less than one million dollars in 1969 in what it hoped would become a booming business.

The Indian Government had its heavy hand on every aspect of the Bhopal Plant, from its design and construction to its eventual operation. Initially, the facility merely imported raw-pesticides, such as Sevin and then diluted, packaged and shipped them. This was a relatively safe and simple operation. But in acccordance with the Industrial Policy, the Union Carbide was under constant pressure from the Government to cut imports and reduce the loss of foreign exchange. To do this Carbide was required by its State-issued operating licence to transfer to Bhopal the capability to manufacture the basic pesticides and, subsequently, even their ingredients. Everything was to be Indianised. Even the chemical production processes used in Bhopal were developed by Indian researchers. So far removed was Carbide headquarters from *de facto* control of the operations at Bhopal that, according to Fortune magazine, it did not even have a copy of the India-designed blueprints for the facility. MIC was not required in Bhopal while the factory simply packaged Sevin, its final product. But the logic of industrial self-sufficiency and technology transfer required the manufacture of Sevin. So in 1971, the Union Carbide factory opened a small plant to manufacture alpha-napthol, and began to imports and store MIC—a chemical which never had to be in India in the first place, except to satisfy the Indian Government. In February 1980, an MIC production facility was opened. The parent Corporation sent guidelines for the design of the safety systems; but under Indian law, the details had to be determined by an autonomous Indian-staffed consulting firm. Step by step Union Carbide's control over the operations at Bhopal was disappearing. What had begun as a Carbide subsidiary for packaging pesticides was now a government—directed business, manufacturing and storing a deadly chemical in a technologically backward culture. Those were not business decisions. Those were political decisions. Until 1982, U.S. supervisory and training personnel were still at the plant. But under Indian law those Americans

[Dr. Naunihal Singh]

were licensed for fixed periods and had to leave once their Indian replacements were trained. At this point Carbide visits to the site all but ended, and Headquarters relied mainly on reports issued from Bhopal. In June 1982, representatives from U.S. Headquarters did conduct one final safety inspection, based upon which they filed a critical report. But safety was now the responsibility of local management. The parent company claims to have been assured by the Bhopal subsidiary that it had taken all the action it considered necessary to respond effectively to the safety instructions. One last element of Government policy helped lay the groundwork for the pending disaster. The area around the plant had been deserted at the time Carbide moved in. But in 1975 the local government in a re-zoning scheme, encouraged thousands and thousands of people to settle near the plant by giving them construction loans and other inducements. In fact, Government first helped to make the plant unsafe, and then drew the people into the path of the coming gas cloud. Further, Mr. Vice-Chairman, for over a week, employees had been trying unsuccessfully to get MIC out of storage tank number 610 by pumping in nitrogen and forcing out liquid. But every time the workers tried, the nitrogen leaked out somewhere. The technical manual of the parent Union Carbide Corporation suggests that these 15,000 gallon tanks be kept no more than half full to prevent pressure from building up rapidly in an emergency. The Bhopal operating manual, somewhat less conservative, states, "Do not fill MIC storage tanks beyond 60 per cent level". But tank 610 held between 11,000 and 13,000 gallons of MIC that night.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude. If you have a written statement then you may send it to the Minister.

DR. NAUNIHAL SINGH: I will conclude. It meant that it was between 70 and 87 per cent full. The shift supervisor was Gauri Shanker, a novice at MIC work who had been transferred from a Union Carbide battery plant only two months earlier. At 9.15 he summoned MIC operator Rahman Khan.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude.

DR. NAUNIHAL SINGH: Shakil Qureshi, the shift supervisor, noticed the same thing at 11.30 P.M and dismissed it. "Instruments often didn't work", he explained. And, of course, the temperature alarms, which would have revealed the increased heat resulting from the pressure build up, had been turned off. At about the same time, the workers' eyes began to tear and they realised that MIC was leaking somewhere At 11.45 p.m., one worker noticed a drip of liquid and spurts of gas fifty feet off the ground. He went to inform Qureshi. Qureshi's answer was that he would deal with it after the next tea break scheduled for 00.15 a.m. And so, as the gas continued to escape, the men discussed the leak in the control room, over tea. After tea, Suman Dey noticed that the temperature gauge for tank 610 had climbed off the top of the scale and that the pressure gauge was rising towards 40 p.s.i., at which point an emergency relief valve burst. He rushed to Qureshi's office to inform him, then went back onto a concrete slab over the partly-buried tanks. "There was a tremendous sound, a messy boiling sound, underneath the slab", he recalled. The slab began to shake, and Dey ran. There was a loud noise behind him, and a giant crack appeared in the concrete. Then came a blast of intense heat. When he heard the loud hissing sound, he looked up and saw huge amounts of MIC gas billowing out of a pipe, 120 feet above the tank. Like an ominous white spectre, it began to drift away from the

plant. By 00.45 a.m., on December 3, 1984, it was too late. Hence it would appear from what I have stated above that you cannot solely blame the Carbide Company but it is an Herculean blunder on the part of the then Government in the State and the Centre. Hence, the Motion to be taken into consideration, the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Amendment Bill, 1992, should be rejected by this House, as it is silent on what has been stated above.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to say a few words in the remaining time allotted to my party. Almost all the speakers have referred to the devastation caused by the Bhopal Gas leak tragedy. I only wish that the Government implements this Bill sincerely once it becomes an Act.

I would like to continue my speech from where my party colleague, Mr. Azmi, left. I don't know whether the Government is capable of punishing the Chairman of the multinational Union Carbide. In my opinion, this will never be possible because India, under the Congress rule, has been reduced to be an ally of America. Previously, it was an ally of the Soviet Union. At this time, when the Soviet Union has disintegrated, to form an allinace with America is the only alternative left with the Government. Eight years have elapsed since the gas disaster. Many valuable lives are lost. Is it not the responsibility of the Government to come to the rescue of those victims who are only half-alive today? Is it not the duty of the Government to provide relief, solace and employment to the gas victims? Had such an accident occurred in a Western country, the people of that country would not have hesitated to take action against the multinational. But our country is not able to take criminal proceedings against the company. Everybody is aware that the company violated all the security and safety measures in the plant. I do not want to go into the controversy whether some politicians were backing the multinational or any Government servant. And I don't agree with certain allegations made by some Members. Now, I say that the relief amount is not properly distributed. This has been alleged by some Members. Mr. Rajiv Gandhi, the former Prime Minister, also said that more than half of the money given for the victims was pilfered on the way. So, we should not blame any party or any individual for this. We should take a humane approach to the problem. We should go beyond any party politics while analysing a human problem. I strongly say that no Congressman has the moral courage now to say that some party or the other was engaged in pilferage because it was already admitted by our former Prime Minister. The provision in the Bill to give more power to the Welfare Commissioner will certainly help in the process of providing relief to the gas victims. This Bill is long overdue. The bad effect of this deadly gas is going to affect the generations to come. Many more new-born will be disabled due to the bad effect of this gas disaster.

Sir the working of this Welfare Commissioner should be reviewed from time to time. He should not be brought under any pressure, I mean, political pressure, and that real victim should get the relief. Secondly, the provision of Rs. 4 lakhs to the family of the deceased is a very, very small amount life cannot be valued by money. The relief amount for the disabled and partially disabled should also be increased. It is difficult to narrate the agony of the victims. So, money is not the only measuring yardstick to relieve the victims. We have already taken too much time for their rehabilitation and medical care. I request the Minister and also the Government, through you, Sir, that he should not

[Shrimati Mira Das]

take any more time to rehabilitate them and I urge upon the Minister to look at the problem with a humanitarian outlook and in the most humane way. Then only, we can realise the objective of this Bill and we can do something for the victims.

Thank you, Sir.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : एक मिनट मुझे दीजिए । श्रीमन मैं अपने दल की नीति का स्पष्टीकरण कर दूं । मेरे सहयोगी ने इतनी बात अवश्य कही और ठीक कही है कि यह जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की और उस समय की मध्य प्रदेश सरकार की है, लेकिन मैं यूनियन कारबाइड को पूरी तौर से जिम्मेदार मानता हूं । उनकी जिम्मेदारी हमारे हजारों लोगों को और क्षति पहुंचाने की है । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कमीशनर अधिकार दिया जाना चाहिए अमरीका यूनियन कारबाइड को उसी कीमत पर, जिस कीमत पर वह इन्सान की कीमत अमरीका में लगाते हैं, उसी कीमत पर हिन्दुस्तान के आदमी की कीमत देनी चाहिए थी । मैं भर्त्सना करता हूं इस बात की कि सरकार ने अभी तक इस बात पर जोर नहीं दिया, कोई समझौता उस समय तक नहीं होना चाहिए था जब तक कि पूरी भरपाई वह न करते ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): Sir, I am grateful to the hon. Members who have participated in the debate—mainly Suresh Pachouriji, Hariprasadji, Giri Prasadji, Bhattacharyaji, Mira Dasji, Naunihal Singhji, Guptaji—and who have given very valuable suggestions. Everybody is concerned about the delay. Before coming to the House, I had gone through the records. This incident took place in December 1984. After that, the Government gave immediate medical and financial relief. Thereafter there was a prolonged legal battle. In 1989, we reached a settlement in the Supreme Court. After that, voluntary organizations had gone and filed a revision petition in the Supreme Court. Finally, the Supreme Court gave its guidelines and directives in the month of October 1991. In its judgment, the Supreme Court has said that the Government can give the guidelines and appoint Welfare Commissioners within four months. The Supreme Court gave the judgment in October 1991 and the Government, as per the directives of the Supreme Court, has taken four months to appoint the Welfare Commissioner and in time the Welfare Commissioner also has started the adjudication process in Bhopal.

At least once in fifteen days, the Government is monitoring the progress of the adjudication. Immediately after his appointment, the Welfare Commissioner had written to the High Court of Madhya Pradesh that some more magistrates should be appointed for dealing with the compensation claims. He got 17 Deputy Commissioners and 5 Additional Commissioners appointed. He has persuaded the High Court to give more Judges to serve as Deputy Commissioners and Assistant Commissioners and this process is going on on the one side.

With regard to the delay in compensation,—actually, I have gone through the case—a few days back the Finance Minister cleared the file and it has gone to the CAG. Before coming to the House, I got in touch with the CAG and he is going to clear the file today or tomorrow. Immediately after that, we will get in touch with the Registrar of the Supreme Court. The amount is at present lying with the Reserve Bank of India in the name of the Registrar of the Supreme Court and it is about Rs. 1,400 crores. Immediately thereafter, that is, in about a week or two, we will have this amount transferred from the Registrar to the Gas Victims' Relief Fund in Bhopal. Already three hundred cases have been examined and the amount of compensation will be paid

after the transfer of this amount, maybe in seven or ten days' time. I can assure the House very humbly that there will not be any further delay in giving the compensation to the poor victims.

With regard to the staff, the Courts have started functioning and they need staff also. There was some delay. The Department of Personnel has given some guidelines laying down that for appointment of people to certain posts of this type, this much of educational qualification is required or this much of experience should be there. But this is a very temporary job and people are not coming forward to join these Courts. So we have gone to the Department of Personnel and we have persuaded them and we have given blanket permission to the Commissioner to appoint a thousand people immediately in order to hasten the process.

Coming to the question of the building, the Government of Madhya Pradesh is very kind and is doing its best to give the building and everything is going on as per schedule.

With regard to categorisation, a number of categories have been mentioned. We are doing this categorisation as per the directives of the Supreme Court. We are not going even one inch beyond that. We are strictly following the guidelines with regard to categorisation given by the Supreme Court.

Coming to the question of guidelines, Prasadji has said that these are arbitrary in nature. But I would like to submit humbly to him that these guidelines are only indicative in nature. When this Bill is passed, all powers will go to the Welfare Commissioner and the Welfare Commissioner is a sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh. He will have all judicial powers, he will have full powers. He can take any decision he thinks proper. And if anybody has got any problem, instead of giving Rs. 3 lakhs, he can give Rs. 4 lakhs. Instead of giving Rs. 4 lakhs, if he feels that the victim needs some more compensation, he can give four and a half lakh rupees. It is not strictly stipulated within the parameters. It is his decision. He can take a decision depending on the nature of the case.

Coming to the claims, there are some claims left-over. That is what Mr. Suresh Pachouri was mentioning. And we have come to know that some more cases have to be finalised. And there is already the Claims Commissioner there. If anybody has got any problem, he can immediately go to the Claims Commissioner.

Once he finalised the case, they can go to the process of adjudication, and immediately compensation also will be given.

Coming to the medical examination, the Indian Council of Medical Research has done some studies on that. It is a very open document. And the State Government of Madhya Pradesh has also given their report. As per their guidelines, the Government is proceeding. Coming to the Hospital, the Supreme Court has given its decision saying that the UGC should give Rs. 50 crores. They are ready to give this amount. And the State Government has already given 30 acres of land. And I also discussed with the concerned people why there is delay in starting this hospital. The reason for the delay is very genuine also. Immediately after this, they have approached the Hospital Consultancy Corporation of India, which is one of the public sector Corporations attached to the Ministry of Health to start the project report. I even spoke to the Managing Director of that Hospital Consultancy Corporation yesterday. He said that he will take one more month to prepare the project report. He is preparing that Rs. 50 crore project, that 500-bedded hospital project with all the architectural plans

[Shri Chinta Mohan]

and all that. Once it is ready, it will be submitted to the Welfare Commissioner and the State Government. They can decide and they can start the hospital. There was a problem about the location of the hospital site. That we will discuss with the State Government and see what best we can do in this.

Finally, about the sewing machine centre, it was started long back and it was stopped. Shri Pachouri and some Members said that these sewing machine centres should be started. Yesterday, the Law Minister from Madhya Pradesh has come. He is in charge of the Bhopal gas victims. I discussed with him and he said that he will come out with a proposal very soon. Once we get a proposal, if it is very good to go on, the Government is ready to do that.

Coming to the criminal cases, Anderson is in the USA. We are trying to locate him through our diplomatic channels. The CBI is concentrating on this case. Once we locate this person, will not hesitate to arrest him. We are ready to do what the law of the land says.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): Law of the land of the USA or India?

SHRI CHINTA MOHAN: We are in India. And we have advertised this in the 'Washington Times' also. The Government is taking all efforts to see that this man is arrested. And we are not going to spare anybody. We will take all possible efforts to see that these things should be closed as quickly as possible.

With these words, Sir, I request the House, through you, to pass this Bill.

SHRI N. GIRI PRASAD: Sir, I want to seek one small clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): I cannot open it, please.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: About the extradition of Anderson....

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्यप्रदेश): उसको छोड़ा क्यों था? . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI N. GIRI PRASAD: I want to ask the Minster...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please sit down. The House has permitted to pass this Bill. There is hardly any time.

SHRI N. GIRI PRASAD: Just one minute, please.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Giri Prasad, please sit down. The purpose of taking the permission of the House will be defeated.

SHRI N. GIRI PRASAD: I want to seek one information. If it is not possible, I will sit down.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The question is:

> "That the Bill to amend the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): There is one amendment for insertion of a new clause 2A by Shri Suresh Pachouri.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, केवल दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मुझे संतोष है कि माननीय मंत्री जी ने भोपाल गैस पीड़ितों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की

है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भविष्य में शीघ्र ही और ज्यादा राहत और पुनर्वास की व्यवस्था दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गैस पीडितों को जो दो सौ रुपया प्रति माह इंटीरियम रिलीफ मिल रहा है वह मार्च, 93 में खत्म हो जाएगा। यदि यह कम्पन्सेशन का भुगतान नहीं मिला तो उन लोगों को अपनी जिंदगी को गुजर-बसर करने में बहुत दिक्कत होगी। क्या मंत्री जी इस बारे में विचार करेंगे कि यदि कम्पन्सेशन का भुगतान उन्हें जब तक नहीं हो पाये तो इंटीरियम रिलीफ जारी की जाए और साथ ही मंत्री जी ने जो खुद ही फिगर्स रखी है कि जो टोटल क्लैम्स फाइल किए गए हैं डायरेक्टेट आफ क्लैम्स को वह छः लाख उन्हत्तर हजार सात सौ तिरानवें हैं। उसमें जो मैडिकल एक्जामिनेशन हुआ है वह तीन लाख इक्सठ हजार एक सौ छियासठ का है। यानी करीब 40 प्रतिशत लोगों का मैडिकल एक्जामिनेशन नहीं हुआ है। यदि मैडिकल एक्जामिनेशन वाली प्रथा को हमने रद्द नहीं किया तो केटेगराइजेशन जो इतनी ज्यादा की है, उसको हमने तीन केटेगरी में नहीं किया तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्हें कम्पन्सेशन का भुगतान नहीं होगा। तो इस नाजुकता को ध्यान में रखते हुए मंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे, ऐसा मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं। यही मेरा उनसे अनुरोध है।

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता : महोदय, एक बात का जवाब नहीं दिया गया और मैं मंत्री जी से एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भोपाल के 56 वार्डों को राहत प्रदान की घोषणा आप करना चाहेंगे? यह प्रश्न बहुत प्रमुखता से उठाया गया है कि भोपाल में केवल 36 वार्डों को ही यह दिया जा रहा है, 56 वार्डों को नहीं। मंत्री जी ने, इसका कोई उत्तर यहां पर नहीं दिया है। 36 वार्डों में से भी एक लाख लोगों को नहीं दिया जा रहा है। यानी आप बहुत गंभीरता से इस विषय को लेने की कृपा करेंगे और इस पर कुछ अवश्य आश्वासन देंगे। क्या आप 56 वार्डों को देने का निर्णय करेंगे! ... (**व्यवधान**)

मंत्री जी ने अभी कोई इसका जवाब नहीं दिया बहन जी। क्या भोपाल शहर के 56 वार्डों को ही राहत शुरू की जाएगी एक बात। और जो 56 वार्ड आपने पहले घोषित किए, उसके भी एक लाख लोगों को नहीं दिया जा रहा है। क्या उनको राहत शुरू की जाएगी? यह दो बातें मैं उठाना चाहता हूं। कृपा करके इसका उत्तर दीजिए।

SHRI CHINTA MOHAN: If Guptaji has got any claims left over, he can meet the Claims Commissioner. We will give him the guidelines.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Amendment of Shri Pachouri is not moved. Now clause 3.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula, and the Title were added to the Bill.

श्री सुरेश पचौरी : सान्यवर मैं अपने संशोधन के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं पाया।

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh): Sir,.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): No, it will not go on record.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM:*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The Minister need not react because it has not been recorded.

SHRI CHINTA MOHAN: Sir I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

---

*Not recorded.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Now we will take up half-an-hour discussion.

6.00 P.M.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

On points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on 15th July, 1992 to starred question No. 102, regarding Aids Holocaust in India

श्री प्रमोद महाजन (महाराष्ट्र) : उपाध्यक्ष जी, भारत में एड्स के भारी प्रकोप के संबंध में 15 जलाई, 1992 को राज्यसभा में तारांकित प्रश्न 102 के दिए गए उत्तर में उत्पन्न मुद्दों में पर मैं चर्चा आरंभ करना चाहता हूं और इस चर्चा को अनुमति प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

महोदय, मानव इतिहास में एड्स के नन्हें विषाणु ने पूरे मानव समाज को इतनी बड़ी चुनौती इससे पहले शायद नहीं दी होगी । यह सत्य है कि एड्स की समस्या आज सारे विश्व की चिंता का विषय बन चुकी है । फिर भी हमारी चिंता इसलिए अधिक बढ़ जाती है जब यह दिखाई दे रहा है कि हमारा भारत देश के एड्स का सबसे बड़ा शिकार बन जाने की संभावना बढ़ रही है । जागतिक आरोग्य ने भारत में एड्स के संबंध में कहा है कि--

> "AIDS is spreading in India at a pace comparable to that in Africa. The Indian health officials have said about coping with the problem. But like all other Governments, their efforts may be a little toolate."

विश्व बैंक, जो इसके निराकरण के लिए सहायता करता है, उन्होंने भारत के संबंध में जो पत्र तैयार किया है उसमें वह टिप्पणी करते हैं कि—

> "The potential for HIV spread is high and the epidemic in India, described as a silent volcano, may turn out to be the largest in the region."

हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने 15 जुलाई के अपने उत्तर में इस समस्या की गंभीरता को स्वीकार किया है । महोदय, 1986 में जब इस देश में एड्स का एक रोगी मिला, इसका मतलब यह नहीं कि उस दिन एड्स का एक ही शिकार था, हो सकता है हजारों हों लेकिन एक आदमी को हम ढूंढ पाए जो एड्स का शिकार था और 6 वर्ष के भीतर हम अभी तक लगभग 200 व्यक्तियों के बारे में तो निश्चित रूप से जानते हैं और 8000 व्यक्तियों में हमने एच.आई.वी पाया है ।

जागतिक आरोग्य संगठन और विश्व बैंक, जो इसके बारे में विश्वव्यापी अभ्यास कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि इस शताब्दी के अंत तक हिंदुस्तान में लगभग 10 लाख एड्स के बीमार पाने की संभावना है । एड्स का बीमार नहीं होता, वह अपने रोग का वाहक भी होता है । तो जब कि वह स्वयं भी बीमार है और उसका वाहक भी है तो इससे आप इस समस्या की भयंकरता को समझ सकते हैं कि जब नयी शताब्दी शुरू होगी तो यह रोग हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी करेगा ।

महोदय, उस दिन स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा कि हमें देश में भय और आतंक का वातावरण इस संबंध में निर्मित नहीं करना चाहिए, मैं इससे शत प्रतिशत सहमत हूं क्योंकि यदि हम भय और आतंक का वातावरण निर्मित करें हो सकता है कि ये रोगी भूमिगत हो जाएं जिन्हें एड्स हो । वह इतने बढ़ जाएं कि हमें पता ही न चले और इसलिए भूमिगत अगर यह हो जाएं तो इससे हमारी समस्या और भी बढ़ जाएगी । लेकिन उसके साथ साथ मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि भय और आतंक का वातावरण और आवश्यक सतर्कता, इसकी सीमा रेखा बड़ी ही अस्पष्ट होती है ।

भय और आतंक न हो, लेकिन पूरी सतर्कता हो, इस आवश्यकता की दृष्टि से स्वास्थ्य मंत्रालय इस संबंध में